

30.5.24

वकील जाणी उपलब्धत । वकील जाणी उरत मज्याशीत  
का रजि. नलवी नलवाग पेश मले हेतु अवका  
दिणे गपे. जेंतित नलवी नलवाग पेश नही मिया।  
आतः जाणी - पत्र नलवी अभाव में (काणी)  
विधा जाता ही पत्रावली गकर ले रूत होकर डायकल  
उपकर हो।

आदेश लेत सुजलात कुनादा गप /

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GCMs No.

2022/285

